भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 445
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

अदालतों में लंबित मामले

445. कुमारी चन्द्राणी मुर्मु :

श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :

श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री अरुण कुमार सागर :

श्री. एम. के. राघवन :

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :

श्री अशोक महादेवराव नेते :

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी :

श्री अशोक कुमार रावत :

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में सिविल और फौजदारी सहित अनेक मामले लंबित हैं जिनमें से कुछ मामले 1970 के दशक के हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय/ मामले तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायालय अधिकरणों की स्थापना करने और सिविल प्रक्रिया अधिनियम, 1908 में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) लंबित मामलों की संख्या को कम करने और इष्टतम क्षमता के साथ कार्य कर रही न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए किए गए / किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : एकीकृत मामला प्रबंध सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 42 वर्षों से अधिक समय से भारत के उच्चतम न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। राष्ट्रीय

न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 01.02.2023 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, जो 1970-79 की अवधि तक के हैं, क्रमशः 3642 और 2979 लंबित मामले हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में 1970 के दशक (1970-1979) से लंबित मामलों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध- 2** में दिया गया है।

(ख) : औसतन, विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, यह कथन किया गया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात 2020, 2021 और 2022 में देश की विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत विवरण, उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और राज्य-वार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों को **उपाबंध -3**, **उपाबंध-4** और **उपाबंध-5** में दर्शित किया गया है।

(ग) : जहां तक भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का संबंध है, यथासंभव मामलों की अधिकतम संख्या सूचीबद्ध करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। उच्चतम न्यायालय ने 24.12.2022 तक लॉकडाउन के बाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,79,954 सुनवाई की। लम्बित मामलों को कम करने के लिए, यह निदेश दिया गया कि सप्ताह के सभी पाँच दिनों में प्रत्येक माननीय न्यायालय के समक्ष 10 स्थानांतरण याचिकाएँ और 10 जमानत मामले सूचीबद्ध किए जाएँ। इसके अतिरिक्त नए एवं अन्य प्रकीर्ण मामलों की सूचीकरण में तेजी लाने के लिए ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए सप्ताह का मंगलवार भी निर्धारित किया गया है। लंबित नए मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लिए समय-समय पर प्रकीर्ण सप्ताह घोषित किए जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया जा सके। विशेष पीठों का भी गठन प्रतिकर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, सेवा एवं आपराधिक मामलों से संबंधित पुराने मामलों के निस्तारण के लिए किया गया है। नियमित सुनवाई के दिनों में इन न्यायालयों के समक्ष पुराने नियमित सुनवाई के मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। निकट भविष्य में लम्बित मामलों को कम करने के लिए बहुआयामी प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अपने स्तर पर लंबित मामलों को कम करने के प्रयास जारी हैं।

(घ) : लंबित मामलों को कम करने और मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन

राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामले; जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.12.2022 तक जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों आदि के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय काम कर रहे हैं। 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 848 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त,केंद्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के

अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 140 करोड़ रुपए जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 186.93 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 768 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिसमें 418 अनन्य पॉक्सो न्यायालय हैं, जिन्होंने 31.12.2022 तक 1,37,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया।

(ङ) : न्याय मामलों की लंबितता एक बहुआयामी समस्या है । देश की जनसंख्या में वृद्धि और जनता के बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण नए मामलें दर्ज करने मे भी वर्ष दर वर्ष तेजी से वृद्धि हो रही है । न्यायालयों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कई कारण हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारीवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तत्थयों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं । आपराधिक मामलों के लंबित होने की स्थिति में, आपराधिक न्याय प्रणाली विभिन्न अभिकरणों की सहायता पर कार्य करती है, जैसे पुलिस, अभियोजन, न्यायालयीय प्रयोगशाला, लिखावट विशेषज्ञ और मेडिको लीगल विशेषज्ञ । संबद्ध अभिकरणों द्वारा सहायता प्रदान करने मे देरी से भी मामलों के निपटान में देरी होती है ।

****

उपाबंध-1

विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1970 (1970-1979) से लंबित मामलों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	कुल
1	इलाहाबाद	1	4	2	5	6	11	44	110	212	345	740

2	राजस्थान											0
3	बॉम्बे	2		1	1		5	2			1	12
4	मद्रास	2	5	7	7	7	7	1	2	11	17	66
5	पंजाब और हरियाणा											0
6	मध्य प्रदेश			2								2
7	कर्नाटक											0
8	तेलंगाना							1	3	3	8	15
9	आंध्र प्रदेश							1		2	7	10
10	पटना	1	3	3	9	13	37	57	30	149	92	394
11	कलकत्ता	108	151	124	249	220	222	288	343	313	382	2400
12	केरल				1						1	2
13	गुजरात											0
14	ओडिशा											0
15	दिल्ली											0
16	छत्तीसगढ											0
17	हिमाचल प्रदेश											0
18	झारखण्ड											0
19	गुवाहाटी											0
20	उत्तराखंड											0
21	जम्मू - कश्मीर										1	1
22	मणिपुर											0
23	त्रिपुरा											0
24	मेघालय											0
25	सिक्किम											0
	कुल	**114**	**163**	**139**	**272**	**246**	**282**	**394**	**488**	**690**	**854**	**3642**

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध-2

विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 1970 के दशक (1970-1979) से लंबित मामलों की वर्ष-वार संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	कुल
1	आंध्र प्रदेश											0
2	अंदमान और निकोबार											0
3	असम								1		1	2
4	अरुणाचल प्रदेश											0
5	बिहार	20	28	22	36	55	26	39	38	73	80	417
6	चंडीगढ़											0
7	छत्तीसगढ़									1	2	3
8	दिल्ली			1	1	2		1				5
9	दमन और दीव											0
10	गोवा	1	1	1	2	2		4	2	5	4	22
11	गुजरात			1			1	1				3
12	हरियाणा										1	1
13	हिमाचल प्रदेश											0
14	जम्मू-कश्मीर				1	1						2
15	झारखंड	1	2	5	1	2	1	1	1	6	3	23
16	कर्नाटक						2			3	1	6
17	केरल				1		1	1			3	6
18	मध्य प्रदेश	5	1							1	2	9
19	महाराष्ट्र		11	10	18	13	15	16	17	27	28	155
20	मणिपुर											0
21	मेघालय								1	1	1	3
22	मिजोरम											0
23	नागालैंड											0
24	ओडिशा		2		1		2	2	1	5	2	15
25	पुदुचेरी											0
26	पंजाब											0
27	राजस्थान	2	4	1	2	3	2	3	5	3	4	29
28	सिक्किम											0
29	सिल्वासा											0
30	तमिलनाडु			1		2		1	2	4	2	12
31	तेलंगाना									1	1	2
32	त्रिपुरा											0
33	संघ राज्यक्षेत्र लक्ष्यद्वीप											0
34	उत्तरप्रदेश	80	98	131	134	147	171	205	267	340	390	1963
35	उत्तराखंड											0
36	पश्चिमी बंगाल	19	11	15	23	20	34	35	37	50	57	301
कुल		**128**	**158**	**188**	**220**	**247**	**255**	**309**	**372**	**520**	**582**	**2979**

उपाबंध-3

उच्चतम न्यायालय में पिछले तीन वर्षों के दौरान मामलों की लम्बितता

वर्ष	**उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या**
2020	65086
2021	70239
2022	69768

श्रोत- भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध-4

विभिन्न उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान मामलों की लम्बितता

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	2020	2021	2022 (30.09.2022 तक)
1	इलाहाबाद	993031	1031587	1030538
2	आंध्र प्रदेश	205556	223783	240569
3	तेलंगाना	223064	240029	236549
4	बॉम्बे	325332	353143	371787
5	कलकत्ता	237363	234909	223636
6	छत्तीसगढ़	75836	81001	88089
7	दिल्ली	91279	101685	106110
8	गुजरात	143167	155006	159711
9	गुवाहाटी	40998	44356	46624
10	मेघालय	1064	1201	89689
11	मणिपुर	2849	3218	47323
12	त्रिपुरा	2343	1736	86291
13	हिमाचल प्रदेश	74158	82354	258493
14	जम्मू - कश्मीर	59162	48318	237641
15	झारखण्ड	88435	88364	420758
16	कर्नाटक	249733	246413	241448
17	केरला	212515	226494	3121
18	मध्य प्रदेश	383784	408527	908
19	मद्रास	269417	259980	170187
20	उड़ीसा	172900	196483	212203
21	पटना	179462	226071	444370
22	पंजाब और हरियाणा	378856	451985	590071
23	राजस्थान	518499	560062	164
24	सिक्किम	239	179	1695
25	उत्तराखंड	37923	40963	43309
	कुल	**4966965**	**5307847**	**5351284**

श्रोत – भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध-5

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2019	2020	2021	2022 (30.09.2022 तक)
1	उत्तर प्रदेश	7807863	8781104	9966606	10641073
2	आंध्र प्रदेश	567096	649157	785379	827790
3	तेलंगाना	580193	691646	790360	822658
4	महाराष्ट्र	3821487	4504573	4800895	4919254
5	गोवा	49049	58967	59414	56082
6	दमन और दीव और सिलवासा	5344	6281	6523	2857
7	सिलवासा				3784
8	पश्चिमी बंगाल	2048697	2170788	2384020	2481419
9	अंदमान और निकोबार	9795	9839	9321	9163
10	छत्तीसगढ़	285025	331849	381984	403266
11	दिल्ली	882366	1018642	1231373	1440149
12	गुजरात	1595813	1917992	1952262	1808627
13	असम	301427	360753	415024	478356
14	नागालैंड	3361	4206	4569	4605
15	मेघालय	13673	15830	16010	5843
16	मणिपुर	6516	6957	8183	16029
17	त्रिपुरा	27491	44654	43096	504912
18	मिजोरम	6589	6338	6304	258228
19	अरुणाचल प्रदेश	10658	12651	14318	499687
20	हिमाचल प्रदेश	293706	420891	464892	1878045
21	जम्मू & कश्मीर	172769	198771	216245	1992343
22	झारखण्ड	365642	427130	490905	539
23	कर्नाटक	1531008	1709220	1780802	1957175
24	केरल	1614277	2089289	2089147	7654
25	संघ राज्यक्षेत्र लक्ष्यद्वीप	397	453	470	15576
26	मध्य प्रदेश	1455435	1727293	1920613	1383865
27	तमिलनाडु	1137684	1263758	1331944	32216
28	पुदुचेरी	30094	33470	32998	1846520
29	ओडिशा	1433522	1592250	1789677	3434130
30	बिहार	2714344	3016743	3276696	952777
31	पंजाब	642327	843791	945609	1445775
32	हरियाणा	853375	1101330	1313881	88805
33	चंडीगढ़	62955	70633	72384	2248201
34	राजस्थान	1769823	1947688	2162774	1645
35	सिक्किम	1142	1455	1616	38986
36	उत्तराखंड	195281	249350	287204	318743
	कुल	**32296224**	**37285742**	**41053498**	**42826777**

श्रोत - भारत का उच्चतम न्यायालय

****